



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



आदेश सं०: .....

पटना, दिनांक:...../09/2019

## -:आदेश:-

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 3677 दिनांक 24.08.2019 को अवक्रमित करते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य के चिन्हित शहरों में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (UPHCs) के लिए Pharmacist के संविदागत पदों पर प्रतीक्षासूची से चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय ₹12,000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित UPHCs में पुनः पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	पंजीयन सं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पदस्थापन UPHC
1	2	3	4	5
1.	171018	Md. Danish	05.01.1986	राम नगर, कटिहार।
2.	175001	Alok Sagar	05.02.1986	गुलाबबाग, पूर्णियाँ।
3.	175012	Sudhanshu Kumar	11.02.1984	ईदगाह (डेहरी), रोहतास।
4.	171037	Roshan Kumar Mishra	19.04.1989	अचोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर।
5.	171006	Ankit Kumar Akhil	10.06.1994	उलाव, बेगूसराय।
6.	171011	Sarfaraz Uddin	28.08.1992	सिपारा डीह, पटना।
7.	172005	Krishan Kant Kumar	04.01.1986	धरहरा, भोजपुर।
8.	171027	Sanajay Chandra Bhusan	15.11.1978	इकबाल नगर, गया।
9.	171012	Md. Gufran	03.03.1987	अली नगर, दरभंगा।
10.	177010	Sanjeev Kumar Mishra	10.07.1987	कन्हौली, मुजफ्फरपुर।
11.	177022	Rohit Kumar Rai	10.06.1990	दीदारगंज, पटना।
12.	171036	Gautam Kumar Sinha	12.04.1988	आलमगंज, पटना।
13.	173009	Manish Kumar	02.01.1990	बस्ती, सहरसा।
14.	175002	Sushil Kumar	14.02.1986	सुन्दरगढ़, नालन्दा।
15.	176019	Vimal Kumar	01.03.1978	बिश्नुपुर पूर्वी, बेगूसराय।
16.	173015	Anwar Alam	04.11.1984	दाउदपुर बगीचा, पटना।
17.	171028	Ramesh Kumar	29.12.1980	कमला नेहरू नगर, पटना।
18.	175021	Rakesh Bhagat	01.03.1977	मारूफगंज, पटना।
19.	171031	Md. Zeyaur Rahman	12.07.1983	बड़ी दरगाह, पटना।
20.	171010	Satyendra Kumar Saha	02.03.1977	सच्चिदानन्द नगर, पटना।
21.	175017	Neeraj Kumar	02.02.1986	मासूमगंज, सारण।
22.	175005	Md. Muzaffarul Haque	03.01.1985	रेकाबगंज, भागलपुर।
23.	172001	Awdhesh Kumar Shaw	17.07.1988	पोस्टल पार्क, पटना।
24.	173005	Deepak Kumar	17.04.1979	नागलोक, मुंगेर।

*(Signature)*





2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-
- दिनांक 18/09/2019 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला के UPHC में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
  - योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए, ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 25/09/2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
  - यदि सरकारी सेवा में है या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
  - यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
  - चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
  - पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
  - उक्त फार्मासिस्टों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
  - Pharmacist के Performance Appraisal Report (PAR) के Appraiser Authority जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी-NUHM एवं Reviewing Authority सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति तथा Accepting Authority कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना होंगे।
  - सभी नवनियोजित Pharmacist अपना PAR माह सितम्बर, 2020 तक संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तगत करा देंगे। सिविल

*(Signature)*





सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति एक पक्ष के अन्दर प्राप्त PAR पर अपना मन्तव्य अंकित करते हुए मूलप्रति इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

xi. सभी नवनियोजित Pharmacist को एकमुश्त मानदेय ₹12,000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान, वर्ष 2019-20 के RoP के FMR code-U.8.1.1.8 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/1976/2016/.....<sup>4017</sup> पटना, दिनांक: .....<sup>05</sup>/09/2019

**प्रतिलिपि:** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

**प्रतिलिपि:** अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाइट [www.statehealthsocietybihar.org](http://www.statehealthsocietybihar.org) पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

